महीदय

कमांक 30/82/79-एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

अध्युक्त अम्बाला/हिसार मण्डल तथा हरियाणा में सभी उपायुक्त । दिनांक चण्डीगढ 30 मई, 1980

2 जून, 11980 व वेदानी वेदानी व विचर्ता अभीता है। इंडिजी अधीत के इंडिजी की महीकारी हिंह --- कार्डी

विषय :—-भूमि अभिग्रहण अधिकारियों (L.A.O.g) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने बारे नीति ।

करान है किया किया किया किया की स्थान ही स्थान स्थान के परिपत्न विकोस है 430-3 एए 0-ए। 50 0 **अर्घात**

उपयुक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न विभागों में नियुक्त भूमि अभिग्रहण अधिकारियों जोकि साधारणतथा एच० सी० एस० अधिकारी होते हैं, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे इस समय कोई समान (uniform) नीति नहीं है। अतः इस विषय पर विचार उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिलों में लोक निर्माण (B&R) तथा irrigation/drainage आदि विभागों के लिए नियुक्त भूमि अभिग्रहण (L.A.Os.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जहां L.A.O. का मुख्यालय हो वहां का उपायुक्त initiate करेगा तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता reviewing authority होगा और वितायुक्त accepting authority होगे। यह निर्णय वर्ष 1980-81 के लिए लिखी जाने वाली गोपनीय रिपोर्टों से लागू होगा।

कुपया इस पत्र की पावती भेजें।

स्य सनिक, राजनीतिक एवं (११)

भवदीय, अवस्थित स्वाप्ति विकास स्वाप्ति । अस्ति । हस्ता, -

मुख्य संचितः हरियांचा सरकार

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 30/82/79-एस दिनांक चण्डीगढ़ 2 जून, 1980 एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :---

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सिचाई); प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य) कृपया इस पत्न की पावती भेजी जाए।